भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1364

उत्तर देने की तारीखः 03.12.2024

एससीएसपी के अंतर्गत निधियां

1364. श्री ससिकांत सेंतिलः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) में अप्रयुक्त निधियों का सामाजिक न्याय मंत्रालय को पुनः आवंटित किया है;

(घ) यदि हां, तो कौन-से नवोन्मेषी कार्यक्रम किए गए थे और इन पहलों में अनुसूचित जाति (एससी) के कुल कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या एससीएसपी को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए), जिसने राज्यों और संघ राज्य को विशिष्ट कारणों से बंद कर दिया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र विद्यमान है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित निधियां उनकी जनसंख्या के अनुपात में हों तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के लिए (पीएम-जनमन) के अंतर्गत स्थापित कार्यक्रमों के समान अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): जी हां, वित्त मंत्रालय ने पहले से मौजूद प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अतिरिक्त वर्ष 2022-23 के दौरान अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 950 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित) की अप्रयुक्त धनराशि पुनः आवंटित की है। इस योजना का नाम अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना: अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (डीएपीएससी:अजय) था।

इस योजना के अमृत जलधारा घटक के अंतर्गत सिंचाई उद्देश्य के लिए अनुसूचित जाति के छोटे सीमांत भूमि धारकों को दिए गए ऋण के लिए इकाई लागत का 50% या 50,000/- रुपये प्रति इकाई की दर से, जो भी कम हो, सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया था; 7 राज्यों को कवर करने वाली 298.82 लाख रुपये की कुल सब्सिडी राशि से कुल 639 लाभार्थी लाभान्वित हुए है।

इस योजना के युवा उद्यमी योजना (वाईईएस) घटक के अंतर्गत रसद वाहनों, गोदामों, लघु व्यवसाय आदि के लिए पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिए गए ऋण के लिए इकाई लागत का 50% या 60,000/- रुपये प्रति इकाई की दर से, जो भी कम हो, सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया था; 22 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को कवर करने वाली कुल 7928.27 लाख रुपये की सब्सिडी राशि से कुल 16,445 लाभार्थी लाभान्वित हुए है।

एजेएस और वाईईएस के तहत जारी राज्यवार सब्सिडी का विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

(ग): सार्वजनिक धन के बेहतर अभिसरण और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए 2021-22 से "एससीए से एससीएसपी" की पूर्व योजना को एक योजना में विलय कर दिया गया था, जिसका नाम प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) था। प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें तीन घटक आदर्श ग्राम (पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना) अनुदान-सहायता (पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता) और छात्रावास (बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना) शामिल हैं। अनुदान-सहायता घटक निधि के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को निम्नलिखित 2 मानदंडों पर धनराशि आवंटित की जाती है:

(i) उपलब्ध निधि का 50% राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में अनुमानित रूप से आवंटित किया जाता है।

(ii) शेष निधि का 50% राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के महत्व के आधार पर आवंटित किया जाता है, जहां यह महत्व राज्य की वार्षिक योजना के तहत कुल आवंटन के लिए अनुसूचित जातियों के लिए राज्य की विशेष घटक योजना के तहत आवंटन के अनुपात पर आधारित होता है।

(घ): अनुसूचित जाति के संबंध में पीएम-अजय योजना का दृष्टिकोण और उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए पीएम-जनमन योजना के तहत स्थापित योजनाओं के समान है।

अनुबंध

एजेएस और वाईईएस के तहत जारी सब्सिडी का राज्यवार लाभ							
क्र.सं.	राज्य	एजेएस		वाईईएस		कुल	
		लाभार्थी	राशि (लाख रूपये में)	लाभार्थी	राशि (लाख रूपये में)	लाभार्थी	राशि (लाख रूपये में)
1	आंध्र प्रदेश	7	2.69	2666	847.07	2673	849.76
2	असम			90	47.57	90	47.57
3	बिहार			12	7.20	12	7.20
4	चंडीगढ़			62	6.18	62	6.18
5	छत्तीसगढ			39	22.55	39	22.55
6	गुजरात			870	521.60	870	521.60
7	हरियाणा			795	250.00	795	250.00
8	झारखंड			57	14.00	57	14.00
9	कर्नाटक	395	196.68	4476	2681.68	4871	2878.35
10	केरल			468	259.31	468	259.31
11	मध्य प्रदेश	14	7.00	223	131.10	237	138.10
12	महाराष्ट्र	1	0.45	114	63.43	115	63.87
13	मणिपुर					0	0.00
14	मेघालय			4	1.31	4	1.31
15	पुदुचेरी			2	1.20	2	1.20
16	पंजाब			1561	632.85	1561	632.85
17	राजस्थान			98	25.60	98	25.60
18	राजस्थान			212	65.38	212	65.38
19	तमिलनाडु			29	17.40	29	17.40
20	तेलंगाना	57	25.07	278	99.74	335	124.81
21	उत्तर प्रदेश	13	5.85	3057	1478.50	3070	1484.35
22	उत्तराखंड			17	9.75	17	9.75
23	पश्चिम	152	61.08	1315	744.87	1467	805.95
	कुल योग	**639**	**298.82**	**16445**	**7928.27**	**17084**	**8227.09**

******